ई–निविदा फार्म

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)

☎05966–220260, 222792 📠05966–221074

ई–निविदा प्रपत्र टैक्निकल बिड (ग्लेडियोलाई बल्ब हेतु)

टैण्डर फार्म रु. 200/–

क्र. सं.	विवरण	अभ्युक्ति (संलग्न है या नहीं)
01	फर्म का नाम व पता–	
02	टैण्डर फार्म की प्राप्ति हेतु जमा की गई धनराशि का विवरण–	
	ड्राफ्ट संख्या..............................दिनांक....................................धनराशि..................................	
03	अर्नेष्ट मनी का विवरण–	
	ग्लेडियोलाई बल्ब– ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 संख्या.................................... दिनांक ....धनराशि..	
04	आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी/संस्था का पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।	
05	आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ का प्रमाण पत्र।	
06	आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी का इम्पोर्ट करने का पंजीकरण प्रमाण पत्र।	
07	वर्णित प्रजातियों को आयात करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।	
08	आपूर्तिकर्ता संस्था (इम्पोर्टर) तथा विदेशी संस्था से वर्णित प्रजातियों के आपूर्ति करने हेतु एम0ओ0यू0 का प्रमाण पत्र।	
09	वर्णित प्रजातियों का पेटेन्टिड/नॉन पेटेन्टिड होने का प्रमाण पत्र।	
10	वर्णित प्रजातियों का पेटेन्टिड होने पर रायल्टी पेड होने का प्रमाण पत्र।	
11	आयात करने वाले देश से वर्णित प्रजातियों के बल्ब स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र।	
12	वर्णित प्रजातियों हेतु क्वेरन्टाइन विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किया गया क्वेरन्टाइन प्रमाण पत्र।	
13	फर्म का पैन एवं टिन नम्बर का प्रमाण पत्र।	
14	फर्म का व्यापार विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।	
15	बीज कारोबार हेतु कृषि विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।	
16	फर्म का ब्लैक लिस्ट/विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही होने या न होने की दशा में रु. 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र।	
17	आपूर्ति की जाने वाली प्रजातियां विभाग द्वारा वर्णित प्रजातियां होने की पुष्टि का प्रमाण पत्र।	
18	ग्लेडियोलाई की समस्त प्रजाति हेतु वित्तीय बिड भरी गई है, का प्रमाण पत्र।	

नोट–
1. क्रम संख्या 11 तथा 12 पर अंकित प्रमाण पत्र आपूर्ति से पहले उपलब्ध कराने होगें।
2. क्रम संख्या 11 तथा 12 के प्रमाण पत्र तथ नमूने टैण्डर समिति की संस्तुति के बाद ही आपूर्ति आदेश निर्गत किये जायेगे।
3. अभ्युिक्ति कॉलम में जैसी भी स्थिति हो प्रमाण पत्र संलग्न हैं या नहीं अंकन करना होगा।

मेरे द्वारा टैण्डर की शर्तें भली–भांतिं पढ/समझ ली गई हैं तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया सहमत हूँ।

निविदादाता/अधिकृत निविदादाता के हस्ताक्षर
निविद्रादाता/अधिकृत निविदादाता का नाम
फर्म का नाम–
फर्म का पता–
फोन/फैक्स न0–
सील–

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)
☎05966–220260, 222792 🖷05966–221074

ई–टैण्डर द्वारा पुष्प बल्बों की आपूर्ति तथा शर्तें

1. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड की ग्लेडियोलाई की आयातित विदेशी प्रजातियों की आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु निविदा एकमुश्त ई–टैण्डर द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं।
2. पुष्पों के बल्बों/प्रजातियों, जिनकी आपूर्ति करनी है, के स्पेशिफिकेशन निम्न प्रकार हैं। दरें समस्त टैक्स सम्मिलित कर रुपये में देनी होगीं तथा भुगतान भारतीय करेन्सी में किया जायेगा–

Sl. No	Name of Fl. Crop/variety	Diameter of bulb	Color of flower
01	Gladiolus Bulb-		
(i)	Rose Supreme	8 – 10 cm	Pink
(ii)	Purple Flora	8 – 10 cm	Purple
(iii)	Nova Lux	8 – 10 cm	Yellow
(iv)	White Prosperity	8 – 12 cm	White
(v)	Peter Pears	8 – 10 cm	Orange

3. फर्म/कम्पनी/संस्था का पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।
4. टैण्डर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पंजीकृत इम्पोंटर द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। अतः इम्पोर्ट करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. फर्म/कम्पनी का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर रु. 1.5 करोड होने का प्रमाण पत्र।
6. निविदादाता को वर्णित प्रजातियों को आयात करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. इम्पोंटर संस्था का विदेश की संस्था से आपूर्ति करने हेतु किये गये MOU का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. वर्णित प्रजातियों का पेटेन्टिड/नॉन पेटेन्टिड होने का प्रमाण पत्र तथा पेटेन्टिड होने पर रॉयल्टी पैड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
9. आपूर्ति की जाने वाली प्रजातियां विभाग द्वारा वर्णित प्रजातियां होने की पुष्टि का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. जिस देश से आयात किया गया उस देश का बल्ब रोगमुक्त/कीटमुक्त (स्वस्थ) होने का प्रमाण पत्र आपूर्ति आदेश से पहले उपलब्ध कराना होगा।
11. आयात होने पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त बल्बों का क्वरेन्टाइन प्रमाण पत्र आपूर्ति आदेश से पहले उपलब्ध कराना होगा।
12. उत्तराखण्ड में बुवाई के 02 मौसम को ध्यान में रखते हुए बल्ब सितम्बर/अक्टूबर तथा फरवरी/मार्च में आपूर्ति करनी होगी।
13. बल्बों की आपूर्ति उत्तराखण्ड के जिला मुख्यालयों में करनी होगी अतः दरें F.O.R देनी होगी।

क्रमशः–2

14. आपूर्ति होने पर विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा प्रत्येक लॉट का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन आख्या मानक के अनुरूप होने पर ही इससे सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
15. आपूर्ति किये गये बल्बों का भुगतान फसल सफल होने के पश्चात किया जायेगा।
16. टैण्डर डाक्यूमेंट का मूल्य रु. 200/— निर्धारित किया गया है। यह टैण्डर तकनीकी तथा वित्तीय बिड प्रारूप में होगा। दोनों निविदा बिड प्रारूपों को भरकर निर्धारित वेबसाइट पर निविदादाता द्वारा जमा करना होगा।
17. निविदा डाक्यूमेंट को www.uktenders.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 200/— का बैंक ड्राफ्ट, जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा) के नाम और भारतीय स्टेट बैंक/पंजाब नेशनल बैंक रानीखेत की शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा (रानीखेत से बाहर की शाखाओं में देय बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेगे), को दिनांक 09.01.2017 को अपरान्ह 05:00 बजे तक व्यक्तिगत/डाक द्वारा निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा) में जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगीं।
18. ग्लेडियोलाई के लिए ई—निविदा जमा करनी होगी। ग्लेडियोलाई की प्रजातियों के बल्बों की संख्या 05.50 लाख है, जो घट—बढ सकती है, के लिए निविदा आंमत्रित की गई है।
19. ग्लेडियोलाई के लिंए एक तकनीकी बिड तथा उसकी प्रत्येक प्रजाति के लिए पृथक—पृथक वित्तीय बिड जमा करनी होगी। निविदादाता द्वारा प्रत्येक प्रजाति की वित्तीय बिड भरी गई है, का प्रमाण तकनीकी बिड में संलग्न करना होगा।
20. ग्लेडियोलाई टैण्डर हेतु रु0 52,500/— (रुपये बावन हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अर्नेष्टमनी के रूप में, जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा) के नाम हो तथा भारतीय स्टेट बैंक/पंजाब नेशनल बैंक रानीखेत की शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा (रानीखेत से बाहर की शाखाओं में देय बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेगे), को दिनांक 09.01.2016 को अपरान्ह 05:00 बजे तक व्यक्तिगत/डाक द्वारा निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा) में जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगीं। अर्नेष्टमनी पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा, जिन निविदादाताओं की दरें स्वीकृत नहीं होगीं, उनकी अर्नेष्टमनी वापस कर दी जायेगी। जिस निविदादाता की दरें अनुमोदित की जायेगी, उसकी अर्नेष्टमनी की धनराशि को जमानत राशि के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा।
21. निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तें उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। निविदा निर्धारित प्रारूप (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) में ऑनलाइन जमा करनी होगीं। निविदादाता के पास किसी एक डिजिटल हस्ताक्षर अभिप्रमाणन अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी0एस0सी0) होना चाहिए। निविदादाता को निविदा से सम्बन्धित मांगे गये दस्तावेज अपलोड करने के साथ मूलरूप में निविदा खोलने की तिथि से पूर्व पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वंय इस कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। डाक द्वारा भेजे गये प्रपत्रों के समय पर इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्रमशः—3

22. निविदा प्रक्रिया सम्पादित होने के दौरान दूरसंचार एवं निविदा की वेबसाइट पर तकनीकी खराबी आदि हो जाने के फलस्वरूप फर्म को होने वाली कठिनाईयों हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
23. निविदा खोले जाने की तिथि पर टैण्डर समिति द्वारा निविदा का तकनीकी बिड भाग–1 ऑनलाइन दिनांक 10.01.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल निविदाओं के वित्तीय बिड अलग तिथि निर्धारित कर खोली जायेगी, जिसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से निविदादाताओं को उपलब्ध करा दी जायेगी।
24. जमानत की धनराशि, संतोषजनक आपूर्ति, गुणवत्ता एवं जमाव प्रतिशत की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही वापस की जायेगी। असंतोषजनक आख्या प्राप्त होने एवं मॉगानुसार आपूर्ति न किये जाने पर जमानत की धनराशि जब्त करने, फर्म को कालीसूची में डालने एवं अन्य विभागीय कार्यवाही अपनाई जायेगी।
25. जिस फर्म/ठेकेदार की दरें स्वीकृत होंगी, उन्हें क्रय की जाने वाली सामग्री के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में टैण्डर स्वीकृति के एक सप्ताह के अंदर बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम जमा करना होगा। निर्धारित समय के अंदर जमानत की धनराशि जमा न करने पर टैण्डर को निरस्त करते हुए अर्नेष्टमनी जब्त कर ली जायेगी।
26. सामग्री की आपूर्ति उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिला मुख्यालयों तक करनी होगी। अतः दरें F.O.R. (डेस्टीनेशन) अंकित की जाय।
27. आपूर्ति मांग के अनुरूप आदेश के पश्चात तुरंत करनी होगी।
28. विभिन्न पुष्प सामग्री की आपूर्ति बिल के आधार पर करनी होगी, जिसका भुगतान फसल सफल होने के उपरांत किया जायेगा।
29. पुष्प सामग्री की अनुमानित मात्रा घट–बढ़ सकती है। निविदा में दरें समस्त करों सहित देनी होगी।
30. जिस फर्म की दरे अनुमोदित की जायेगी, उन्हें आपूर्ति आदेश के एक सप्ताह के भीतर दर अनुबंध रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित सामग्री की आपूर्ति हेतु सहमति पत्र भर कर अनिवार्य रूप से निदेशक, उद्यान, उद्यान भवन चौबटिया के कार्यालय में जमा करना होगा।
31. फर्म को पैन एवं टिन नम्बर का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
32. फर्म को व्यापार विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
33. बीज कारोबार हेतु कृषि विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
34. पुष्प सामग्री के संकलन के सोर्स का स्व प्रमाण–पत्र टैण्डर के साथ संलग्न करना होगा।
35. फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही एवं फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है ? या नहीं, की दशा में शपथ पत्र रू0 100 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र को मूल रूप में जमा करना आवश्यक होगा।

कमशः–4

36. तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग–1 के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्रो की छायाप्रतियां पठनीय होनी नितान्त आवश्यक है। साथ ही फर्म के समस्त डाक्यूमैन्ट्स को फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सील सहित प्रतिहस्ताक्षरित (Counter Signature) कर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

37. निविदा प्रस्तुत करने वाली गैर सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम फर्म को निविदा की समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

38. तकनीकी बिड खोलने की तिथि को विद्युत आपूर्ति न होने/तकनीकी खराबी होने की स्थिति में तकनीकी बिड खोलने की तिथि अगली मानी जायेगी।

39. टेण्डर/निविदा बन्द व खोलने के दिन यदि राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है, तो ऐसी दशा में टैन्डर/निविदा को बन्द व खोलने की तिथि हेतु अगला कार्य दिवस निर्धारित होना समझा जाय।

40. निविदा में मॉगे गये समस्त अभिलेखों को अपलोड करना होगा।

41. तकनीकी बिड के अभ्युक्ति वाले कॉलम में अभिलेख संलग्न हैं या नहीं, जैसी भी स्थिति हो कॉलम में अंकित करनी होगी अन्यथा निविदा अस्वीकृत भी की जा सकती है।

(बी0एस0नेगी)
निदेशक